

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-69

दिनांक: 05-3-2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की
बैठक. तृतीय... दिनांक. 02-3-2002 का
कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0 तृतीय
दिनांक 02-3-2002 प्रातः 11:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त
महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर
प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
7. अति. आयुक्त(भूमि) जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन....., जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,

बीपीसी(ले-आउट प्लान)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 23.2.2022 का
कार्यवाही विवरण।

- | | |
|--|--|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : निजी खातेदार श्री मूलचन्द पुत्र श्री भौरिया सुभा लाल, रूपनारायण, मांगी लाल |
| 2. योजना का नाम | : नृसिंह विहार |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं० | : 371, 373, 374, 363, 372 ग्राम जयपुरा तह० |
| 4. सैक्टर नंबर | : सांगानेर |

जोनल लेबल(जोन संख्या.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना आवासीय क्षेत्रफल 60% स्वीकृत किया जावे।
- 2- भूखण्ड संख्या 23 के पश्चिम में सड़क की चौड़ाई 40-0" की जावे।
- 3- योजना में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई 80-0" ही रखी जावे।
- 4- भूखण्ड संख्या 65 में कुआ है इसलिए इसे सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
- 5- भूखण्ड संख्या 30-31 व 31-32 के मध्य की सड़क की चौड़ाई 30-0" की जावे।
- 6- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू उपयोग ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावे।
- 7- भूमि मौके पर खाली है इसे राज्य सरकार को योजना अनुमोदन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को भिजवावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 2.3.2022 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी श्यामपुरी गृह नि० सोस० समिति का नाम :
2. योजना का नाम : राम विहार कौलोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...2...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- भूखण्ड संख्या 1 से 17 के उत्तर की ओर की सड़क की चौड़ाई 60-0" की जावे ।
- 2- भूखण्ड संख्या 1 से 4वा ए मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार 100-0" चौड़ी सड़क में होने के कारण अस्वीकृत किया जावे ।
- 3- भूखण्ड संख्या 59 में सैट बैक छोड़ने के पश्चात् पर्याप्त आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होता है इसलिए इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे ।
- 4- भूखण्ड 12 पूर्ण व भूखण्ड संख्या 11, 13 आशिक में 60" चौड़ी सड़क गुजरने के कारण भूखण्ड संख्या 12 को अस्वीकृत तथा 11 व 13 के क्षेत्रफल को कम करते हुए स्वीकृत किया जावे ।
- 5- भूखण्ड संख्या 79 से 81ए व भूखण्ड संख्या 68 से 72 व 89 को सुविधा क्षेत्र में दशयिं
- 6- अन्दर की 30" से कम चौड़ी सड़क को 30" किया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 2.3.2022 का
कार्यवाही विवरण।

- | | | | |
|----|--|---|-----------------------|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम | : | विकास भवन गृ० नि०स०स० |
| 2. | योजना का नाम | : | सूर्य नगर |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं० | : | |
| 4. | सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या...C...2...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- सैक्टर प्लान के अनुसार 40-0" चौड़ी प्रस्तावित सड़क में आने वाले भूखण्ड संख्या 6, 7, 65 से 68 पार्टली 63, 64, 77, 78 को अस्वीकृत किया जावे।
- 2- भूखण्ड संख्या 73 से 83 के उत्तर की सड़क मौके पर 25-0" है इसे सैक्टर प्लान के अनुसार 40-0" चौड़ी की जावे।
- 3- भूखण्ड संख्या 21, 22, 23 को सुविधा क्षेत्र में दशावे।
- 4- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस योजना की पार्टली भूमि संस्थानिक क्षेत्र में आती है। इसलिए इस भूमि का भू उपयोग परिवर्तन किया जावे।
- 5- योजना के अन्दर की सड़के जो 30-0" से कम है उन्हें 30-0" चौड़ी की जावे।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 23.2.2022 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हरी नगर गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : श्री नाथ नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...C-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस योजना में से 160-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। इसलिए इस सड़क में आने वाले भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
- 2- सैक्टर प्लान के अनुसार 60-0" चौड़ी सड़क में आने वाले भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
- 3- योजना में पार्टली क्षेत्रफल संस्थानिक क्षेत्रफल है इसलिए इस भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे।
- 4- 76ए आशिक, 77ए आशिक, 79ए, 78ए, 79ए, 80ए अस्वीकृत इसके गांव की सीमा ^{सेवाए} होने के कारण अस्वीकृत किया जावे।
- 5- 77 स 83 नाले से प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत किया जावे।
- 6- 83बी, 84, 84ए, 85-ए कृषपा विहार योजना में होने के कारण अस्वीकृत किया जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांकका
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हथरोई गढ़ी गृ० नि० स० स०
2. योजना का नाम : सुन्दर नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : खसरा नम्बर 106 ग्राम दुर्गापुरा ।
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...बी...!) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

बीपीसी बैठक 26.2.2002 के निर्णय बिन्दु संख्या 4 पर निम्न संशोधन किया जाना है:-

- 1- प्लॉट नम्बर 24, 25, एवं 26 को सुविधा क्षेत्र में माना जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 2.3.2022 का
कार्यवाही विवरण।

- | | | | |
|----|--|---|-------------------|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम | : | नवजीवन गृ0नि0स0स0 |
| 2. | योजना का नाम | : | गायत्री नगर B |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : | |
| 4. | सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या...B...S...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- भूखण्ड संख्या 62 से 77, 80, कृष्णा लान, 61ए, 84, 58, 59, 60, 34, 35, 36, लो-लाइग क्षेत्र में होने के कारण इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
- 2- योजना के अन्दर जो सड़के 30-0" से कम चौड़ी है उन्हें 30-0" चौड़ी की जावे।
- 3- योजना में भूखण्ड संख्या 28 से 32, 121, 122, 253बी से 261ए कुल 19 भूखण्ड मित्र गृ0नि0स0स0 की योजना नं. 8 में ओवर लेप है इसलिए इन भूखण्डों की भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में जांच करने हेतु प्रकरण उप-रजिस्ट्रार सहकारिता को भिजवावे तब तक इन भूखण्डों को अस्वीकृत करें।
- 4- योजना की भूमि राजा-महाराजाओं की है इसलिए नियमानुसार नियमन शुल्क लिया जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 23.2.2022 का कार्यवाही विवरण।

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : | शंकर भवन गृह नि० सो सो |
| 2. योजना का नाम | : | गणेश विहार |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं० | : | |
| 4. सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या....B.S.) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- भूखण्ड संख्या 45; 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 61, 62, 63 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
- 2- अन्दर की सड़कों की चौड़ाई कम से कम 30-0" चौड़ी की जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 23.02.2022 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : पथिक भवन गृ० नि० स० स०
2. योजना का नाम : 10 बी के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में प्रभावित भूखण्डों
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-5...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1- प्रकरण को स्थगित रखा जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 23.2.2022 का
कार्यवाही विवरण।

- | | | | |
|----|--|---|------------------------|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम | : | तोपखाना देश गृ0नि0स0स0 |
| 2. | योजना का नाम | : | 10ए |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : | |
| 4. | सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या...B...1....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार टोंक रोड़ की चौड़ाई 160-0" निर्धारित है मौके पर योजना सड़क के केन्द्र बिन्दु से क्रमशः 58" व 64-0" है, इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से योजना के मध्य 80-0" की दूरी में आने वाली दुकानों एवं भू0स0 1 को पार्टली अस्वीकृत किया जावे।
- 2- भूखण्ड संख्या 8 से 19 व भू0स0 1 से 7 के मध्य की सड़क की चौड़ाई मौके पर 29-3" ही उपलब्ध है जबकि सैक्टर प्लान के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई 80" निर्धारित है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से दोनों ओर 40-0" की दूरी में आने वाले भूखण्डों का क्षेत्रफल कम किया जावे।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 2.3.2022 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : दी शिवा हा0को0ओ0स0
2. योजना का नाम : भू देव कोलोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-1....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- इस योजना के भूखण्ड संख्या 3 से 8 तोपखाना देश गू0नि0स0स0 की योजना 10-बी की ओवर लोपिंग में है इसलिए इन भूखण्डों के स्वामित्व निर्धारण हेतु प्रकरण को उप-रजिस्ट्रार & सहकारिता & को भिजवावे तथा योजना में इन भूखण्डों को तब तक के लिए अस्वीकृत करें ।
- 2- योजना में भू0स0 । व ।। को सुविधा क्षेत्र में दर्शावे ।
- 3- योजना के अन्दर की सड़कों की चौड़ाई 30-0" की जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 23.12.2022 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : नेशनल गृह निगम सो सो
2. योजना का नाम : संख्या 6
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-1...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- सेक्टर प्लान में रेल्व लाइन के केन्द्र बिन्दु से 50-0"की दूरी तथा इसके पश्चात् 100-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित है बीपीसी की बैठक में इस सड़क की चौड़ाई को 80-0" का निर्णय लिया गया था। इसलिए 80-0" चौड़ाई में आने वाले क्षेत्रफल से भूखण्ड 8 व 9 में से कम किया जावे।
- 2- भूखण्ड संख्या 1 से 8 के दक्षिण में सड़क की चौड़ाई मौके पर 68" उपलब्ध है जबकि सेक्टर प्लान में इस सड़क की चौड़ाई 80" है अतः 12-0" चौड़ी भू पट्टी भूखण्ड 1, 2 से 7, 7ए व 8 में से कम की जावे।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 23.12.2022 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : तोपखाना देश गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : विष्णुपुरी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-1....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- इस योजना के भूखण्ड संख्या 78 से 94 एवं 78बी विनायक विहार योजना के ओवर लोपिंग में है इसलिए इस भूमि की स्वामित्व कि जाय हेतु प्रकरण उप-रजिस्ट्रार सहकारिता को भिजवाया जावे। जब तक इन भूखण्डों को अस्वीकृत रखें।
- 2- योजना के दक्षिण में सड़क की चौड़ाई क्रमशः 63 व 69" मौके पर उपलब्ध है जबकि सेक्टर प्लान के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई 100-0" प्रस्तावित है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से 50" की दूरी में आने वाले क्षेत्र को भू0स0 1,71 से 77 में कम किया जावे।
- 3- योजना के अन्दर की सभी सड़को की चौड़ाई 30" की जावे।
- 4- भूखण्ड संख्या 14,26,63,65,66,15,72,73,74,67 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
- 5- योजना अवाप्ती में है एवं कब्जा भी लिया जा चुका है। इसलिए नियमानुसार नियमन शुल्क लिया जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 2-3-2022 का
कार्यवाही विवरण:

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : नागरिक कृ० नि० सो० सो०
2. योजना का नाम : नागरिक नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..B..4....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- एयर फोर्ट व योजना के मध्य 7.5 मी० का रास्ता दर्शाया गया है । जिसके कारण भू०स० इस रास्ते में आ रहे भूखण्डों का क्षेत्रफल कम किया जावे ।
- 2- योजना के अन्दर की सभी सड़कों की चौड़ाई 30-0" की जावे तथा भू० 100 व 106 के मध्य में स्थित भू०स० 101 को रास्ते को हटा किया तथा भू०स० 102 को अस्वीकृत कर किया जावे । भू०स० 13 व 94 के मध्य 20-0" रास्ता यथावत् रखा जावे ।
- 3- खातेदार की भूमि में आ रहे भू०स० 109 व 110 का आंशिक भाग भू०स० 111, 119, 120, 117 का आंशिक भाग 116 का आंशिक भाग को अस्वीकृत किया जावे ।
- 4- भू०स० 103 से 109 व भू०स० 26, 26ए, 26 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।
- 5- सैट बैक के पश्चात् भू०स० 70बी, 58ए को प्रयाप्त आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलता है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे ।
- 6- भू०स० 114ए व 115 सामने के रास्ते में एक ही भूखण्ड खुलता है इसलिए इस भूखण्ड के सामने 20-0" का रास्ता यथावत् रखा जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 2/3/2017 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : तोपखाना देश गृ० नि० स० स०
2. योजना का नाम : कनिष्क कोलोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या B...T...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार टोंक रोड़ की चौड़ाई 160-0" निर्धारित है इसलिए इस रोड़ की चौड़ाई में आने वाले भूखण्डों का क्षेत्रफल कम किया जावे तथा आर.ओ.डब्ल्यू, में आने वाली दुकानों को अस्वीकृत किया जावे ।
- 2- योजना के अन्दर की सड़के मौके पर 30-0" से कम है इसलिए इन सड़कों की चौड़ाई 30-0" करने का निर्णय लिया गया ।
- 3- भूखण्ड संख्या 3,3ए व 10 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 2-3-2022 का
कार्यवाही विवरण।

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : | जल महल गृ० नि० स० स० |
| 2. योजना का नाम | : | दुर्गाविहार |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं० | : | |
| 4. सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-4...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार टॉक रोड की चौड़ाई 160-0" है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से योजना के मध्य की दूरी 80-0" में आने वाले क्षेत्रों को भूखण्डों में से कम किया जावे।
- 2- योजना के अन्दर की सड़कों की चौड़ाई 30-0" की जावे।
- 3- भूखण्ड संख्या 2, 2ए में सैट बैक दर्शाने के पश्चात् प्रेर्याप्त आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
- 4- भूखण्ड संख्या 15 से 18 व भू०स० 1 से 3 के मध्य में 24-0" चौड़ी रिजर्व क्षेत्र दर्शाया जावे।
- 5- खातेदार के भूखण्ड को योजना में शामिल नहीं किया जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 2-3-2012 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी लक्ष्मी गृ० नि० स०स०
समिति का नाम :
2. योजना का नाम : प्रहलाद नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B...4...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 में इस योजना की भूमि का भू उपयोग नर्सरी एवं आर्बेट दर्शाया है इसलिए भू उपयोग परिवर्तन किया जावे।
- 2- फ्लाइंग जोन के कारण भू०स० 1, 2 को पूर्ण व भू०स० 17 के आंशिक भाग को अस्वीकृत किया जावे।
- 3- योजना के अन्दर की सभी सड़कों की चौड़ाई 30-0" की जावे।
- 4- भूखण्ड संख्या 20, 21 व 22, 25 के मध्य में स्थित 12-0" चौड़े रास्ते को 30-0" को जिसके लिए 80-0" चौड़ी भू पट्टी भू०स० 20 व 21 में से क्रम की जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 23.07.2012 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी लक्ष्मी गृह नि0स0स0
समिति का नाम :
2. योजना का नाम : लक्ष्मी नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B:4....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस योजना की भूमि का भू उपयोग एयर पोर्ट है इसलिए भू उपयोग परिवर्तन किया जावे।
- 2- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार टोंक रोड़ की चौड़ाई 160-0" जबकि मौके पर सड़क के केन्द्र बिन्दु से 57" से 60" ही उपलब्ध है। इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से योजना के मध्य की 80-0" की दूरी में आने वाले भूखण्डों का क्षेत्रफल कम किया जावे जिसके कारण दुकानों को अस्वीकृत किया जावे।
- 3- योजना के भू0स0 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99ए, 99बी पर मित्र गृ0नि0स0 के पट्टे जारी किए हुए है। इसलिए इन भूखण्डों को स्वीकृत नहीं किया जावे।
- 4- योजना के भू0स0 116 इस भूखण्ड के दक्षिण के भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र में दर्शावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 2.3.2022 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी शिव शक्ति गृ0नि0स0स0
समिति का नाम :
2. योजना का नाम : जेम विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B...4...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू0स0 1 से 9 व 19 के पूर्व में 100-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित है जबकि मौके पर 57" से 62" चौड़ी सड़क ही उपलब्ध है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से 50-0" की दूरी में आने वाले क्षेत्रफल को कम किया जावे।
- 2- योजना में कुले भूखण्ड 119 है तथा निर्मित आवासीय भूखण्ड 15 है इसलिए तकनीकी राय राज्य सरकार को योजना अनुमोदन हेतु भिजवाया जावे।
- 3- योजना में आवासीय क्षेत्रफल 60% अनुज्ञेय है जबकि प्रस्तावित योजना मा नचित्र के अनुसार आवासीय क्षेत्रफल 60.89% इसलिए आवासीय क्षेत्रफल 60% किया जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 2-3-2012 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : दी जयपुर वाल्मीकी गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : सीताबाडी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B...4...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू उपयोग नर्सरी ओवर्ड है, इसलिए भू उपयोग परिवर्तन किया जावे।
- 2- भूखण्ड संख्या 40,41,31,32,33,56,57,58 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
- 3- योजना के अन्दर की सभी सड़कों की चौड़ाई 30-0" की जावे।
- 4- योजना में स्थित भू0स0 57 व 58 की तरफ पूर्व में स्थित रास्ते की चौड़ाई मौके पर 9-6" है, इसलिए इन्हीं भूखण्डों में से भूमि लेते हुए इसे 15-0" चौड़ा किया जावे।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 23.02.2024 का
कार्यवाही विवरण:

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : तोपखाना देश भू0नि0स0स0
2. योजना का नाम : माथूर वैश्य T
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..B...4..) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस योजना की भूमि का भू उपयोग नर्सरी ओवार्ड है, इसलिए भू उपयोग परिवर्तन किया जावे।
- 2- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार टोंक रोड़ की चौड़ाई 160-0" है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से योजना के मध्य में 80-0" की दूरी में आने वाले भूखण्डों का क्षेत्रफल कम किया जावे तथा दुकानों को अस्वीकृत किया जावे।
- 3- योजना मानचित्र में भू0स0 ए-2 एवं ए-8 के मध्य 75-0" चौड़ा, 183-0" लम्बा भाग जिसमें भू0स0 ए-7 दर्शाया है को तथा भू0स0 ए-15 के पश्चिमी भाग एवं बी-20, बी-21, बी-22 के उत्तर में रिक्त भूमि को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
- 4- भूखण्ड संख्या सी-24 व बी-19 के मध्य स्थित 13-0" चौड़ी लेन को 30" किया जावे तथा इस हेतु भूमि भूखण्ड बी-19 में से भी जावे। माथूर वैश्य नगर द्वितीय की 30" रोड़ में लिंक किया जावे। जिसके का भू0स0 बी-19 में पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता इसलिए इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 23.2.2022 का कार्यवाही विवरण।

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : | तोपठाना देश गृ0नि0स0स0 |
| 2. योजना का नाम | : | माधूर वैश्य नगर द्वितीय |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : | |
| 4. सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या..B...H..) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस योजना की भूमि का भू उपयोग नर्सरी ओवार्ड है इसलिए भू उपयोग परिवर्तन किया जावे ।
- 2- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार टोंक रोड़ की चौड़ाई 160-0" है मौके पर सड़क के केन्द्र बिन्दु से योजना की 80-0" दूरी में आने वाले क्षेत्र की भूखण्डों में से कम किया जावे । इसलिए दूकानों को अस्वीकृत किया जावे ।
- 3- योजना के अन्दर की सभी सड़कों की चौड़ाई 30-0" की जावे ।
- 4- भू0स0 40,41,42 के पूर्व में 10-0" चौड़ी लेन को यथावत् रखा जावे ।
- 5- भूखण्ड संख्या 49 से 53 व भू0स0 62 से 64,46 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...3...बैठक दिनांक 2.3.2022...का कार्यवाही विवरण।

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : | तोपखाना देश गृ0नि0स0स0 |
| 2. योजना का नाम | : | माथूर वैश्य नगर द्वितीय |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : | |
| 4. सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या...B...4...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस योजना की भूमि का भू उपयोग नर्सरी ओवर्डि है इसलिए भू उपयोग परिवर्तन किया जावे ।
- 2- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार टोंक रोड़ की चौड़ाई 160-0" है मौके पर सड़क के केन्द्र बिन्दु से योजना की 80-0" दूरी में आनेवाले क्षेत्र की भूखण्डों में से कम किया जावे । इसलिए दूकानों को अस्वीकृत किया जावे ।
- 3- योजना के अन्दर की सभी सड़कों की चौड़ाई 30-0" की जावे ।
- 4- भू0स0 40, 41, 42 के पूर्व में 10-0" चौड़ी लेन को यथावत् रखा जावे ।
- 5- भूखण्ड संख्या 49 से 53 व भू0स0 62 से 64, 46 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 2/3/2022 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : सुभाष सिन्धी को.ओ. हा.मो.
2. योजना का नाम : जय अम्बे नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...A-1.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार टोंक रोड की चौड़ाई 160-0" प्रस्तावित है जबकि मौके पर इस सड़क की चौड़ाई सड़क केन्द्र बिन्दु से क्रमशः 50" व 52-6" ही उपलब्ध है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से योजना के मध्य की 80-0" दूरी में आने वाली दुकानों को अस्वीकृत किया जावे।
- 2- भूखण्ड संख्या ए ए-1, ए-ए-9 से ए-ए-14, ए30, बी-13, 14, 19 में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है इसलिए इनको नोटिस दिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे तथा इन भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावे।
- 3- योजना का समिति के सदस्यों को मौका दिखाने के पश्चात् ही भू0स0 ए-73, ए-78 से ए-81 के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा तब तक इस ब्लॉक को अस्वीकृत करें।
- 4- भूखण्ड संख्या 24 व 25 को सुविधा क्षेत्र में दर्शावे।
- 5- योजना के अन्दर की सड़के जो 30-0" से कम है उसे 30-0" चौड़ी की जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 23.2.2022 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : लक्ष्मीनारायण पुरो गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : जोशी कोलोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...1...1.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना के भू0स0 1 से 5 व भू0स0 6 से 10 के बीच की सड़क की चौड़ाई 30-0" की जावे।
- 2- भूउण्ड संख्या 12 से 14 व 7 से 10 के मध्य की सड़क की चौड़ाई 30" की जावे।
- 3- भू0स0 1, 10, 14, व 18, 19, 20 के मध्य की सड़क की चौड़ाई 40-0" की जावे।
- 4- भूउण्ड संख्या 14 व 15 के मध्य में 40-0" चौड़ा रास्ता दशावे।
- 5- रेलवे लाइन के केन्द्र बिन्दु से योजना की दूरी 150-0" में आने वाले भूउण्डों का क्षेत्रफल कम किया जावे।
- 6- भूउण्ड संख्या 15 व 21 में सैट बैक छोड़ने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होता है इसलिए इन भूउण्डों को अस्वीकृत किया जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 2-3-2022 का
कार्यवाही विवरण।

- | | | | |
|----|--|---|---------------------|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम | : | माधव नगर गृ0नि0स0स0 |
| 2. | योजना का नाम | : | नारायण नगर |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : | |
| 4. | सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या...A...।...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- इस योजना की भूमि सरकारी है इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि ऐसी योजना को अनुमोदित नहीं किया जावे तथा भूमि को खाली करवायी जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की समिति की राय भिजवायी जावे।





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की तृतीय बैठक दिनांक 2-3-2002 को प्रातः/सुबह...11:००.....बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक सदस्य
2. श्री अशोक तंवर, विधायक सदस्य
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य सदस्य

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

4. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
6. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
7. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
8. श्री गिरिराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री नन्नूमल पहाडिया, उपायुक्त जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री रमेश चन्द शर्मा, उपायुक्त जोन बी-4, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री पवन कुमार जैन, उपायुक्त जोन बी-5, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री बद्रीनाराय, उपायुक्त जोन सी-2, जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी «ले आउट प्लान» की दिनांक 02.3.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन D-2 का मोतीभवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 11, सुदामापुरी, हरमाडा नये खसरा नम्बर 340, 341, 342, 349, 350, 351, 352, 353 के जोनल लेबल कमेटी के निर्णय की पुष्टी के संबंध में एजेन्डा प्रस्तुत किया गया ।

मोतीभवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 11, सुदामापुरी, हरमाडा नये खसरा नम्बर 340, 341, 342, 349, 350, 351, 352, 353 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल «जोन संख्या डी-2» कमेटी की बैठक दिनांक 27.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशप्ता के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर जोनल लेबल कमेटी के निर्णय की पुष्टि निम्न शर्तों पर की गयी :-

1. आंतरिक सडकों को 30 ft. किया जावे ।
2. राष्ट्रीय उच्च मार्ग के मार्गाधिकार से प्रभावित दुकानों एवं भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावे ।
3. बढ़ारना जाने वाली लिंक रोड को 60 ft. करने पर प्रभावित भूखण्डों के नियमन योग्य क्षेत्र का नियमन किया जावे ।
4. H.T. Line से प्रभावित भूखण्डों के दोनों ओर 25 ft. सुरक्षित दूरी रखने के पश्चात नियमन योग्य भूखण्डों को तदनुसार नियमन किया जावे ।
5. इस प्रकार के प्रकरण जिनमें 50% से अधिक Built Up Area हो गया है उनमें जविप्रा के आदेश क्रमांक अआ/भूमि/2002/D-451 के क्रम में जोनल लेबल कमेटी अपने स्तर पर निर्णय कर नियमन की कार्यवाही करें ।


वरिष्ठ नगर नियोजक «सम.पी.»